पत्र संख्या-स्था-5(ख)-पदोन्नति-प्रधान सहायक-2024-25// 4701 //राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक : 27 दिसम्बर, 2024

-::प्रोन्नति आदेश::-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 19-09-2024 में की गयी संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधान सहायक (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन-4200/ लेवल-6) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्रम सं0	ज्ये0 क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/ पति का नाम श्री/श्रीमती/कु0:-	वर्तमान तैनाती	जन्मतिथि
1	2	3	4	5
1	4109	जयदेव सिंह/जगदीश सिंह	वाराणसी	08-12-1977
2	4151	अमित कुमार शुक्ला/ सत्येन्द्र प्रकाश शुक्ला	उन्नाव	20-06-1981

2- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती सम्बन्धित जोन / कार्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रधान सहायक के पद पर दिनांक-10-01-2025 तक कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार ग्रहण करने की सूचना तत्काल मुख्यालय उपलब्ध कराये तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उनसे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

4- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र/नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जॉच/ई0ओ0डब्ल्यू0 जॉच चल रही हो तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

5- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

6- वर्तमान में यदि कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, वाराणसी, कानपुर।
3- संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, सम्भाग ए/बी/सी वाराणसी, कानपुर।